न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला–सीकर

बइजलास गोविन्द सिंह भीचर आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 65/2021 आवेदन 251–क

1. भूराराम पुत्र किशनाराम उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– प्रार्थी

ब ना म

1. बरजी देवी पत्नि श्योजीराम
2. हनुमान पुत्र नानूराम (फौत)
   - 2/1 भंवरी, 2/2 विमला — पुत्रियां हनुमान
   - 2/3 कैलाश, 2/4 प्रहलाद, 2/5 मुकेश — पुत्रगण हनुमान
   - 2/6 अणची पत्नि हनुमान
3. किशनाराम पुत्र गोविन्दा
4. डालचन्द पुत्र भानाराम
5. पृथ्वीराज पुत्र बोदूराम
6. पेमाराम पुत्र चूनाराम
7. पार्वती देवी पत्नि दौलाराम
8. भूराराम पुत्र बोदूराम

(1 से 8) समस्त जाति जाट निवासी श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।

9. भगवानी देवी पुत्री भानाराम पत्नि रामेश्वर जाति जाट निवासी श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल आबाद पतिगृह ग्राम गोवटी तह0 दांतारामगढ़ सीकर।
10. श्रवणी देवी पुत्री भानाराम पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल आबाद पतिगृह ग्राम गोवटी तह0 दांतारामगढ़ सीकर।
11. सायरी पुत्री नारायणी पत्नि टोणूराम ओला जाति जाट हाल आबाद पतिगृह ग्राम सवाईपुरा तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।
12. छोटी देवी पुत्री नारायणी पत्नि नारायण महला जाति जाट हाल आबाद पतिगृह ग्राम हाथीपुरा तह0 रेनवाल जिला जयपुर।
13. रामेश्वर पुत्र गोविन्दा
14. लक्ष्मण राम पुत्र बोदूराम

(13 व 14) जाति जाट निवासी श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़।

15. शिशपाल पुत्र भानाराम
16. हंसराज पुत्र भानाराम
17. आदेश कुमार पुत्र श्योजीराम
18. गिरधारी पुत्र श्योजीराम
19. घडसीराम पुत्र श्योजीराम
20. झाबर पुत्र श्योजीराम
21. मन्नीदेवी पत्नि रामेश्वर
22. सीताराम पुत्र रामेश्वर

} समस्त जाति जाट निवासीगण श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।

23. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पचार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
24. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा श्रीमाधोपुर तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
25. एक्सिस बैंक शाखा चौमू तह0 चौमू जिला सीकर।
26. एसबीआई शाखा खाटूश्यामजी तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।
27. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–क

उपस्थिति–

1. श्री शिवपाल सिंह वकील प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 2/3, 2/4, 2/6 की ओर से वकील श्री नन्दलाल धायल व रतनलाल पलसानियां हाजिर आये।
3. अप्रार्थीगण संख्या 1, 2/1, 2/2, 2/5, 3 लगायत 27 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

नि र्ण य दिनांक – 02.09.2024

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदित रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 319 रकबा 1.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 1.6900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 4.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 328/356 रकबा 0.2000 हैक्टेयर तन श्यामपुरा में से खसरा नम्बर 319 की पश्चिमी दिशा की सीमा के सहारे अवस्थित रास्ता जो ग्राम श्यामपुरा से रेनवाल जाता है उक्त रास्ते से भूमि खसरा नम्बर 319, 320, 318 की उतरी सीमा के सहारे सहारे होते हुए

खसरा नम्बर 328/356 की पश्चिमी सीमा की तरफ से खसरा नम्बर 328 तक 16 फुट चौड़ा रास्ता मार्क "ए से बी" कायम करवाना चाहा है। उक्त रास्ता सुगम व निकटतम है व धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है उक्त रास्ते के बिना आवेदक अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग–उपभोग करने से पूर्णतया वंचित हो जायेगा, यह आवेदन–पत्र खातेदारी की भूमि के बेहतर उपयोग हेतु रास्ते के सम्बंध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/आवेदक को अपने खेत में आवागमन एवं पशुधन लाने ले जाने की निरन्तर व दिन–प्रतिदिन आवश्यकता बनी रहती है तथा इस रास्ते के अलावा आवेदक की कृषि भूमि में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा रास्ते में आने वाली कृषि भूमि की प्रतिकर राशि अदा करने हेतु आवेदक तैयार है इसलिए कृषि भूमियाँ खसरा नम्बर 319, 320, 318, 328/356 तन ग्राम श्यामपुरा में से रास्ता में आने वाली भूमि को निर्वापित कर रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है। अतः यह इस्दुआ प्रस्तुत की कि आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 319 रकबा 1.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 1.6900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 4.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 328/356 रकबा 0.2000 हैक्टेयर में आवेदन के संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शित मार्क "ए" से "बी" जिसे नजरी नक्शे में भी दर्शाया गया जा रहा है, चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। आवेदक को अपने खेत में पहुँचने हेतु अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 16 की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ता सुगम व निकटतम है व धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। उक्त रास्ते के बिना आवेदक अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग–उपभोग करने से पूर्णतया वंचित हो

जायेगा, यह इस्तदुआ चाही कि भूमि खसरा नम्बर 328 तन ग्राम श्यामपुरा पटवार हल्का चैनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के उपयोग उपभोग हेतु वांछनीय एकमात्र रास्ता सुगम व नजदीक है जो खसरा नम्बर 319 रकबा 1.8000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 1.6900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 4.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 328/356 रकबा 0.2000 हैक्टेयर की उतरी सीमा के सहारे–सहारे होते हुए खसरा नम्बर 328/356 की पश्चिमी सीमा की तरफ से खसरा नम्बर 328 तक 16 फीट चौड़े रास्ते में आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि तय करके अनावेदक संख्या 1 लगायत 16 को दिलायी जाकर रास्ता में आने वाली भूमि को निर्वापित करके राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता के रूप में दर्ज कर अलग खसरा नम्बर डालकर राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2/3, 2/4, 2/6 की आरे से वकील श्री नन्दलाल धायल व रतनलाल पलसानियां हाजिर आये। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2/1, 2/2, 2/5, 3 लगायत 27 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. तहसीलदार दांतारामगढ से रिपोर्ट मंगवाई गयी। प्राप्त रिपोर्ट में अंकन किया कि वर्तमान में वादी पडौसी सहखातेदारी की मेड के सहारे–सहारे पगडंडी के रूप में आ जा रहा है। खसरा नम्बर 296 रकबा 0.35 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता संयुक्त खातेदारी का रास्ता दर्ज है जो वर्तमान में खसरा नम्बर 313, 322, 320, 312 की पश्चिम सीमा पर खातेदारी की आपसी सहमति से डाल रखा है जो वर्तमान में चालू है। जबकि नक्शा चक लाट में खसरा नम्बर 354/300, 353/300, 303 में से होकर डोटेट दर्ज है। जो खातेदारी का रास्ता खसरा नम्बर 304 में मिलता है। मौके पर नक्शा अनुसार चालू नहीं है। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अत्यंत

आवश्यक है। प्रार्थी के पास ख.नं. 328 में आने जाने के लिए कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा मौके पर बना रखा रास्ते का रकबा खसरा नम्बर 320, 319, 318 में बनाये गये रास्ते का कुल रकबा 1950 वर्ग मीटर है जो रास्ते के उपयोग का है। भूमि खसरा नम्बर 319 व 320 किस्म चाही की डी.एल.सी रेट 557526 रूपया प्रति हैक्टर है तथा खसरा नम्बर 318 किस्म बारानी की डी.एल.सी रेट 373891 रूपया प्रति हैक्टर है। खसरा नम्बर 320, 319, 318 में लाल स्याही से अंकित रास्ते का क्षैत्रफल 1950 वर्ग मीटर है जिसका डी.एल.सी दर से 94026 रूपया बनता है जिसका दुगना करने पर 188052 रूपया बनता है।

4. वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब आवेदन पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आने जाने हेतु पूर्व से खसरा नम्बर 296 किस्म गै.मु. रास्ता सहखातेदारी में दर्ज है जिसे वह अपनी भूमि खसरा संख्या 328 तक पहुंच सकता है।

5. वकील उभयपक्षीय बहस सुनी जिसमें मूलतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व कहा कि तहसीलदार रिपोर्ट में अनुशंषा अनुसार रास्ता दिया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया।

6. बहस विद्वान अधिवक्तागण पर मनन किया एवं तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। धारा 251–क के तहत उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच का प्रावधान होने पर वर्तमान जमाबंदी भी ऑनलाईन निकाल कर अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि भूमि खसरा नम्बर 328 में वर्तमान में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है तथा न ही इस संबंध में प्रार्थी द्वारा न्यायालय को अवगत करवाया गया कि प्रार्थी का दौराने प्रार्थना पत्र के विचारण कैसे हक हिस्सा हस्तांतरण कर दिया गया इस संबंध में कोई तथ्य पेश नहीं किये गये।

अतः प्रार्थी उक्त भूमियों का रिकार्डेड खातेदार नहीं होने से उक्त भूमियों में धारा 251–क के तहत रास्ता पाने का हकदार नहीं होने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ